राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 4 दिसम्बर, 1989 को प्रातः 11.00 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र, बीछवाल बीकानेर में आयोजित प्रबन्ध बोर्ड की बैठक का कार्यवृत:

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे:

1). डा. के. एन. नाग (अध्यक्ष)
2). श्री बी. डी. कल्ला
3). श्री. एम. एल. मेहता
4). प्रो. पी. डी. शर्मा
5). प्रो. शिवनाथ सिंह कपूर
6). श्री राम गोपाल चौधरी
7). डा. एस. एन. सक्सेना
8). डा. ओ. एस. राठोड़
9). डा. के. पी. पन्त
10). श्री यूसुफ अली
11). श्री राजन सुद्रेशन
12). श्री खुशाहल सिंह (सदस्य सचिव)

<u>आमंत्रित सदस्य</u>

1. श्री बी. एस. उज्वल
2. श्री एस. पी. पुरोहित
3. डा. जे. एस. भाटिया

डा. आर. एस. परोदा व डा. एस. एस. आचार्य ने बैठक में भाग लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की ।

बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व कुलपति महोदय ने बोर्ड के नये सदस्यों के रूप में बैठक में प्रथम बार भाग लेने पर डा. ओ. एस. राठोड़, श्री यूसुफ अली एवं श्री राजेन्द्र सुद्रेशन का स्वागत किया ।

प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों ने डा. बी. पाल, भूतपूर्व महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया ।

राकृवि/प्रबो-14 89-7/176 — प्रबन्ध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 4 सितम्बर, 1989 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की पुष्टि की जाय ।

राकृवि/प्रबो-14/ 89-7/177 — दिनांक 4.9.89 की बैठक के कार्यवृत की क्रियान्विति पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि कार्यवृत की क्रियान्विति को निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय ।

अ) मद संख्या 175 पर लिये गये निर्णयानुसार कृषि अनुसंधान/विस्तार शिक्षा/ व पशु विज्ञान अनुसंधान निदेशालयो को बीकानेर स्थानान्तरित करने के निर्णय पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक पं. 517/कृषि/ ग्रुप-2ए/89 दिनांक 7.11.89 द्वारा यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश प्राप्त हुए हैं ।

.......2.

सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के ऐसे निर्णय के संबंध में स्थगन आदेश प्रसारित करना तकनिकी तौर पर आपत्ति जनक है । इस संबंध में यदि कोई सुझाव कुलपति महोदय को प्राप्त होता तो अधिक उपयुक्त रहता । यह भी जानकारी दी गई कि पशु विज्ञान अनुसंधान निदेशालय का कार्यालय बीकानेर में स्थानान्तरित पूर्व में हो ही चुका है । कृषि प्रसार निदेशालय राज्य सरकार की विधान सभा मार्च 1987 की घोषणानुसार उदयपुर की प्रवृत्तियों के साथ यथावत रहेगा ।

राकृवि/प्रबो-14/ 89-7/178

कुलपति द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा प्रसारित आदेशों को आलोकित किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-14/ 89-7/179

प्रबन्ध बार्ड के अंतर्गत एक स्थापना समिति के गठन किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि एक स्थापना समिति का गठन किया जाय जो शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों की वरीयता, शैक्षणिक अवकाश व अन्य समानान्तर मामलों पर निर्णय ले सकेगी ।

समिति के निम्नांकित सदस्य होगें ।

1). कुलपति

2). कृषि उत्पादन सचिव

3). प्रो. शिवनाथ सिंह कपूर (बोर्ड के मनोनीत सदस्य)

4). कुल सचिव (जो इस समिति के सचिव होगें)

सदस्यों का मत था कि सुविधानुसार बैठकें जयपुर में आयोजित की जाय ।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा डा. भानु प्रताप चौधरी को अवैतनिक अवकाश में वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार किया गया । विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात निर्णय किया गया की डा. भानु प्रताप चौधारी के द्वारा किये जा रहे अध्यन कार्य की महता व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अगस्त 1991 तक का अवैतनिक अवकाश उनके परामर्शदाता का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर व उन द्वारा अनुबंधित होने पर स्वीकृत किया जाय । साथ यह भी निर्णय लिया गया कि श्री चौधरी को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत निवास की सुविधा को भी खाली करना होगा ।

......3.

राकृवि/प्रबो-14/89-7/180 — विश्वविद्यालय पुरूस्कार समिति की सिफारिश डा. एल. एल. सोमानी को पुरूस्कृत किये जाने हेतु प्राप्त हुई ।
विस्तृत विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि डा. सोमानी को पुरूस्कृत तो किया ही जाय पर यह राशि 1500/-रू. से बढ़ाकर 5000/- रू. की जाय और भविष्य में यह पुरूस्कार 5000/-रू. का किया जाय।

राकृवि/प्रबो-14/89-7/181 — श्री डी. के. मोदी पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण मोदी, कनिष्ठ तकनिकी सहायक, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर की प्रार्थना जिसमें उन्होंने पूर्व सुखाड़िया विश्वविद्यालय कल्याण समिति के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि स्वीकृत होनी चाहिये थी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है पर विचार किया गया ।
विस्तृत विचार विमर्श किया गया कि प्रार्थना पत्र 31.10.84 तक प्राप्त होना था परन्तु श्री लक्ष्मी नारायण मोदी के उतराधिकारीगण अवयस्क होने के कारण अब प्राप्त हुआ है। विलम्ब के कारणों का अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर से संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के पश्चात 7500/-रू. का आर्थिक अनुदान (कल्याण कोष की राशि) प्रदान किया जाना निर्णित किया गया। भुगतान की राशि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के तत्कालीन कल्याण कोष से देय होगी।

राकृवि/प्रबो-14/89-7/182 — शैक्षणिक परिषद् की बैठक दिनांक 5-6 नवम्बर, 1989 में लिये गये मुख्य मुख्य निर्णयों पर विचार किया गया।
निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक परिषद् के कार्यवृत की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की जाय :-
अ) एम. एम. आर. डी. के पाठ्यक्रम के लिये नियोजन की संभावाना पर तथा पाठ्यक्रम पर विशेषज्ञों की राय जानी जाय।

राकृवि/प्रबो-14/89-7/183 — डा. एस. एन. सक्सेना कमेटी द्वारा तैयार किया गया शैक्षिक योजना का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात योजना के प्रारूप को शैक्षिक परिषद् द्वारा गठित उप समिति द्वारा प्रारूप को अंतिम रूप देने पर पुनः बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कृषि उत्पादन सचिव श्री एम. एल. मेहता ने निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया :-

1. राष्ट्र स्तर की फसलों की अपेक्षा राज्य में उत्पादन होने वाली फसलों के अनुसंधान के अनुसंधान पर अधिक बल दिया जाना चाहिये ।
2. व्यावसायिक फसलों के अनुसंधान और उत्पादन पर अधिक बल दिया जाय।

3). संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार की जाय ।

कुलपति ने मण्डल को बताया कि जो प्रारूप बनाया गया है उसमें विषयों के लिये राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष स्ट्रेटेजी निर्धारित कर संसाधनों (मैन पावर, तकनीकी ज्ञान, को ध्यान में रखते हुए ही योजना तैयार की जायेगी । (अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता अनुमानित करने पर अलग से उसकी व्याख्या की जाए ।

राकृवि/प्रपो-14 89-7/184 माह सितम्बर में आयोजित विभिन्न चयन समितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि चयन समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया जाय ।

दिनांक	पद नाम/विषय	प्रत्याशी का नाम	विवरण
18.9.89	सह आचार्य, एस. डब्ल्यू सी. (अभियांत्रिकी)	श्री मधुसुदन आचार्य	वि. वि. नियमानुसार
		श्री एम. एस. दाहेल	" "
		श्री महेश कुमार हर्दा	न्यूनतम वेतन
18.9.89	सहा. आचार्य, गृहविज्ञान विस्तार शिक्षा	कु. रेखा उपाध्याय	न्यूनतम वेतन
19.9.89	आचार्य पशु पोषण न्यूट्रेशन	डा. गोपाल कृष्ण	नियंत्रण मण्डल को यह भी ज्ञात हुआ है कि इनके विरूध हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जांच चल रही है इस संबंध में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त कर ही आदेश प्रसारित किये जाने हेतु आगामी बैठक में पूर्ण जानकारी सहित प्रस्तुत हो ।
20.9.89	आचार्य, एस. डब्ल्यू. सी.	डा. राजवीर सिंह	न्यूनतम वेतन
20.9.89	आचार्य, पशु जनन	डा. ए. एल. तापड़िया	वि. वि. नियमानुसार
21.9.89	सहा. आचार्य, ओब्स्ट व प्रसूति	डा. जे. एस. मेहता	" "
21.9.89	सह. आचार्य, पैथोलोजी	डा. जी. डी. शर्मा	" "
21.9.89	आचार्य, ओबस्ट व प्रसूति	डा. एस. एस. शर्मा	" "